संख्याः 03 /2020/639/46-3-2020-3(22)/2018

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **गन्ना आयुक्त / निबन्धक,**
सहकारी गन्ना / चीनी मिल समितियाँ,
उ.प्र., लखनऊ।

2. **प्रबन्ध निदेशक,**
उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि.,
लखनऊ।

3. **प्रबन्ध निदेशक,**
उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि.,
लखनऊ।

4. **प्रबन्ध निदेशक,**
उ.प्र. सहकारी गन्ना समिति संघ लि.,
लखनऊ।

5. **निदेशक,**
लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान,
उ.प्र., लखनऊ।

6. **निदेशक,**
उ.प्र. गन्ना शोध परिषद,
शाहजहाँपुर।

<चीनी उद्योग अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांक** 14 **मई**, 2020

विषय- चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के अधीन संचालित विभिन्न स्वशासी संस्थाओं में नियुक्त होने वाले कर्मियों (गैर राजकीय) पर लागू इम्प्लाइज प्राविडेन्ट फण्ड एक्ट, **1952** (ई.पी.एफ./सी.पी.एफ.) के प्राविधानों के अन्तर्गत भविष्य निधि मद में की जाने वाली सांविधिक कटौती की धनराशि को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 से ई.पी.एफ.ओ. में नियोजित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर पूर्व निर्गत शासनादेश सख्याः **08/2018/577/46-3-18-3(22)/2018,** दिनांक **26** अप्रैल, **2018** की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये यह उल्लेख करना है कि उ.प्र. सहकारी गन्ना समिति संघ एवं प्रदेश स्थित सहकारी गन्ना समितियों, गन्ना विकास परिषदों, उ.प्र. गन्ना किसान संस्थान, सहकारी चीनी मिलों एवं राज्य चीनी निगम के कर्मचारी गैर राजकीय की श्रेणी में आते हैं तथा इन कर्मचारियों पर इम्प्लाइज प्राॅविडेन्ट फण्ड एक्ट, **1952** के प्रावधान लागू होते हैं। तद्क्रम में कई संगठनों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट स्थापित किये गये हैं अथवा कई संगठनों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में भविष्य निधि की धनराशि जमा करायी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत कर्मचारी के वेतन से प्रतिमाह भविष्य निधि मद में की जाने वाली कटौती के सापेक्ष नियोक्ता का अंशदान सम्बन्धित कर्मचारी के खाते में प्रतिमाह नियमित रूप से जमा किये जाने की व्यवस्था दी गयी है, जिसके अनुपालन की जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्था के नियोक्ता / कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारियों की है।

2. उल्लेखनीय है कि राजकीय कर्मचारियो से इतर, विभिन्न स्वशासी संस्थाओं के गैर राजकीय कार्मिकों को भविष्य निधि की सुविधा एवं उसके संबंध में नियोक्ता के अंशदान व रख-रखाव तथा परिपक्वता धनराशि आदि के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही किये जाने के संबंध में भारत सरकार की **"कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्राविधान अधिनियम, 1952 (Employees provident fund and miscellaneous provisions Act,1952)"** में समुचित व्यवस्था की गयी है। तद्क्रम में प्रदेश स्तर पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा व्यवस्थायें प्रतिपादित की गयी हैं, जिसे सम्बंधित स्वशासी संस्थाओं के प्रबन्धक / निदेशक मण्डल के द्वारा अपने अधिष्ठान में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यरत कर्मियों के हितों के दृष्टिगत विचारोपरान्त वैकल्पिक रुप में स्वीकार करते हुए भविष्य निधि के मद में कटौती की गयी धनराशि को नियोजित किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लेती हैं। यह अनुभव किया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) द्वारा संचालित योजनाओं के अधीन स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों के द्वारा भविष्य निधि के रुप में किये जाने वाले मासिक अंशदान एवं उसके सापेक्ष नियोक्ता द्वारा इस मद में दी जाने वाली मासिक अंशदान का अच्छा प्रतिफल, ब्याज, नियमित भुगतान आदि की कार्यवाही उचित तरीके से की जा रही है। उक्त संगठन के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि के रुप में नियोजित धनराशि के सापेक्ष प्रतिफल, अन्य माध्यमों में नियोजित की जाने वाली धनराशि के सापेक्ष, सामान्यतः अधिक प्राप्त होता है।

3. उपरोक्त के दृष्टिगत गन्ना विभाग के अधीन संचालित उपर्युक्त स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों हेतु वर्तमान में प्रभावी सी.पी.एफ., पी.पी.एफ. एवं ई.पी.एफ. की व्यवस्था को समाप्त करते हुये, ई.पी.एफ.ओ. लागू किये जाने के संबंध में समस्त पहलुओं पर विचार कर संस्तुति देने हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्याः **286/46-3-2020-3(22)/2018**, दिनांक **14** फरवरी, **2020** द्वारा, प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र.सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति के स्तर पर अभी विचार किया जा रहा है एवं समिति की संस्तुति प्रतीक्षित है। समिति की संस्तुति प्राप्त होने पर यथोचित निर्णय यथासमय लिया जायेगा।

4. अतः इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के अधीन स्थापित व संचालित विभिन्न स्वशासी संस्थाओं (उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. / उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. / उ.प्र. सहकारी गन्ना समिति संघ लि. / लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र. / उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर) में वर्तमान वित्तीय वर्ष **2020-21** में नियुक्त होने वाले कार्मिकों पर ई.पी.एफ.ओ. की व्यवस्था को लागू किया जाना सुनिश्चित किया जाय। तद्क्रम में "कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्राविधान अधिनियम, **1952**" की सुसंगत व्यवस्थाओं के अधीन एवं संबंधित संस्थाओं के कार्मिकों (गैर राजकीय) के संबंध में निर्णय लिये जाने की वर्तमान प्रक्रियानुसार प्रबन्धक अथवा निदेशक मण्डल से समुचित अनुमति प्राप्त करके, वर्तमान वित्तीय वर्ष **2020-21** से "कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.)" द्वारा भविष्य निधि से संबंधित स्कीम के अन्तर्गत नियोजित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संजय आर. भूसरेड्डी
प्रमुख सचिव।

संख्याः **03 /2020/639 (1)/46-3-2020-3(22)/2018**, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेरषितः-

1. अपर गन्ना आयुक्त (विकास), कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
2. सचिव, राज्य गन्ना सेवा प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त क्षेत्रीय उप/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
4. समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उ.प्र.।
5. चीनी उद्योग अनुभाग-**1/2**, उ.प्र. शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

बच्चू लाल
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in